33

65

27

33

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 313–पीबीआर / 13 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–01–2013 पारित द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बासौदा, जिला–विदिशा प्रकरण कमांक 146 / ए / 2011–12

....

हिम्मत सिंह पुत्र ग्याप्रसाद गुर्जर,
निवासी–बत्तीसा, तहसील गंजबासौदा
जिला–विदिशा .... आवेदक

विरूद्ध

1–श्रीमती बिनियाबाई पत्नी नवल सिंह
गुर्जर, निवासी–बत्तीसा, हाल मुकाम ग्राम
चैत, तहसील घाटीगांव, ग्वालियर
2–देवीसिंह पुत्र गयाप्रसाद गुर्जर
निवासी–बत्तीसा, तहसील गंजबासौदा,
जिला–विदिशा

........अनावेदकगण

....

श्री कुवंरसिंह कुशवाह, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/5/15 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–01–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि विवादित आराजी क्रमांक 75, 71/2, 115, 130, 198/2 कुल किता 5 कुल रकबा 4.467 हेक्टर का मूल भूमि स्वामी मोहन सिंह पुत्र नबल सिंह गुर्जर के पिता नवल सिंह की मृत्यु होने पर मॉ विनियाबाई ने दूसरी शादी ग्राम चैत, तहसील घाटीगांव, ग्वालियर में करके चली गई ऐसी स्थिति में नबल सिंह की आराजी पर पुत्र मोहन का वारिसान नामांतरण चढ़ा परन्तु मोहन सिंह छोटा था उसका लालन पालन हिम्मत सिंह ने किया जब मोहन सिंह वयस्क हुआ तो और पैसों की आवश्यकता होने से अपने हिस्से की आराजी को पिता तुल्य पालन पोषण करने वाले हिम्मत सिंह के नाम लिख दिया । उस आधार पर आवेदक हिम्मत सिंह का नाम नामांतरण पंजी क्रमांक 4 दिनांक 21–03–2005 प्रमाणित दिनांक 23–04–2005 नामांतरण हुआ । इस तथ्य को नजरअंदाज कर अनुविभागीय अधिकारी बासौदा द्वारा समय बाह्य अपील को समय सीमा मान्य करने का आदेश दिनांक 08–01–13 को दिया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत कर दिया। आदेश दिनांक 08–01–2013 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी कुल किता 5 कुल रकबा 4.467 हेक्टर का मूल भूमि स्वामी मोहन सिंह पुत्र नबल सिंह गुर्जर के पिता नवल सिंह की मृत्यु होने पर मॉ विनियाबाई ने दूसरी शादी ग्राम चैत, तहसील घाटीगांव, ग्वालियर में करके चली गई ऐसी स्थिति में नवल सिंह की आराजी पर पुत्र मोहन का वारिसान नामांतरण चढ़ा परन्तु मोहन सिंह छोटा था उसका लालन पालन हिम्मत सिंह ने किया जब मोहन सिंह वयस्क हुआ तो और पैसों की आवश्यकता होने से अपने हिस्से की आराजी को पिता तुल्य पालन पोषण करने वाले हिम्मत सिंह के नाम लिख दिया । उस आधार पर आवेदक हिम्मत सिंह का नाम नामांतरण पंजी क्रमांक 4 दिनांक 21–03–2005 प्रमाणित दिनांक 28–04–2005 नामांतरण हुआ । इस तथ्य को नजरअंदाज कर अनुविभागीय अधिकारी बासौदा ने जो फर्जी अपील समय के बाहर होने के बावजूद भी समय सीमा में ग्राह्य करने में गंभीर कानूनी भूल की जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से निरस्त करने योग्य है । तर्क में यह भी बताया कि मोहन सिंह की मां अनावेदिका ने कोई भी अपील पेश नहीं की क्योंकि उसे दूसरी शादी करके

अन्यत्र चली गई यदि मोहन की मां के नाते अनावेदिका क्रमांक 1 न्यायालय में उपस्थित होकर कथन/अभिवचन करती है तो वह उसके हिस्से की आराजी देने में आवेदक को कोई आपत्ति नहीं होगी, यदि मोहन सिंह की मां ने कोई अपील की ही नहीं इस तथ्य को नजरअंदाज कर प्रकरण ग्राह्य करने में कानूनी भूल की है । इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है । अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा निवेदन किया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होने से निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदिका के अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर अपील को समय सीमा में मान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के यहॉ प्रचलित प्रकरण में अभी अंतिम आदेश पारित होना है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से अनुविभागीय अधिकारी का अंतरिम आदेश स्थिर रखते हुये यह निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । बंटवारे की कार्यवाही सामान्यतः अभिलिखित सह—कृषकों के बीच होती है । इस प्रकरण में प्रथमदृष्टया ही मोहनसिंह का हिस्सा बंटवारा कर नामानतरण पंजी पर ही अन्य को दे दिया गया । वारिसों के संबंध में कोई जॉच नहीं की गई । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुये अनुविभागीय अधिकारी ने अपील समयावधि में ग्रहण करने में कोई त्रुटि नहीं की । उभयपक्ष को अपना पक्ष उनके समक्ष रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है । प्रकरण का गुणदोषों पर निराकरण ही श्रेयष्कर तथा न्यायहित में हैं । अतः यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर